चेक लिस्ट क्र. 28

संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र

कार्यालय परियोजना प्रबंधक
(ए.डी.बी.प्रोजेक्ट)
छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)
(E-mail:- eemp.bilaspur.cg@nic.in) Phone – 07752-400946

प्रमाण पत्र

आवेदक संस्थान छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) लोक निर्माण विभाग बिलासपुर छत्तीसगढ द्वारा बाकारूमा–लैलूंगा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य प्रस्तावित है। इस हेतु धरमजयगढ़ वन मण्डल अंतर्गत परिक्षेत्र लैलूंगा के कक्ष कमांक ग्राम सलखिया **PF-187** रकबा 3.327 हेक्टे., हीरापुर **PF-193** रकबा 0.351 हेक्टे. और चोरंगा **PF-209** रकबा 0.165 हेक्टे. कुल 3.843 हेक्टे. वन भूमि प्रभावित हो रहं है। संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

(ए. के. दीवान)
परियोजना प्रबंधक
(ए.डी.बी. प्रोजेक्ट)
छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना
लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) लैलूँगा, जिला– रायगढ़ (छ0ग0)

क्र. / /अ.वि.अ./वाचक/2020 लैलूंगा दिनांक ....

प्रस्ताव

परियोजना प्रबंधक, (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग. सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि. बिलासपुर द्वारा बाकारूमा–लैलूंगा मार्ग (22.920 कि.मी.) के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु वन संरक्षण 1980 के अंतर्गत रकबा राजस्व वन भूमि 0.00 हे. एवं वन भूमि का रकबा 3.843 हे. वनभूमि के व्यपवर्तन हेतु अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत (वन निवासी की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत वनमंडल लैलूंगा अंतर्गत वन परिक्षेत्र ग्राम सलखिया अंतर्गत वन भूमि कक्ष कमांक 187 रकबा 3.327 हेक्टे., ग्राम हीरापुर अंतर्गत वन भूमि कक्ष कमांक 193 रकबा 0.351 हेक्टे. एवं ग्राम चोरगा अंतर्गत वन भूमि कक्ष कमांक 209 रकबा 0.165 हेक्टे. कुल प्रभावित क्षेत्र का रकबा राजस्व वन भूमि रकबा 0.00 हे. एवं वन भूमि रकबा 3.843 हे. भूमि प्रभावित हो रहा है तथा प्रभावित क्षेत्र में राजस्व एवं वनभूमि में किसी भी व्यक्ति को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित नहीं किया गया है एवं प्रभावित क्षेत्र में विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के व्यक्तियों की भूमि प्रभावित नहीं हो रही है तथा शासन द्वारा संचालित स्कूल भवन, आंगनबाडी भवन, पंचायत भवन, अस्पताल इत्यादि प्रभावित नहीं हो रही है। आवेदित संस्था विभाग द्वारा भूमि के व्यपवर्तन हेतु उपरोक्तानुसार राजस्व वन भूमि रकबा 0.00 हे. एवं वन भूमि रकबा 3.843 हे. हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव संलग्न है। उपखण्ड स्तर पर उक्त ग्राम में वन अधिकार समिति के सभी दावे/आवेदनों का विनिश्चय कर लिया गया है। उक्त ग्राम की प्रश्नाधीन भूमि के व्यपवर्तन पर उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति लैलूंगा उपरोक्तानुसार प्रस्ताव पारित करती है। यह प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रेषित है।

8/10/2020

अनुविभागीय अधिकारी
वन समिति लैलूंगा
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
जिला–रायगढ़
लैलूंगा, जिला- रायगढ़ (छ.ग.)

श्रीमती सवमती चौहान
सदस्य
उपखण्ड वनाधिकारी समिति

श्रीमती किरण पैंकरा
सदस्य
अध्यक्ष
उपखण्ड वनाधिकारी समिति
जनपद पंचायत लैलूंगा

सचिव
उपखण्ड वनाधिकारी समिति
Chief Executive Officer
Janpad Panchayat - Lailunga
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत लैलूंगा

सदस्य
उपखण्ड वनाधिकारी समिति
अनुविभागीय अधिकारी (वन)
वन विभाग लैलूंगा

वन अधिकार समिति

प्रदर्श –"ब"

ग्राम सभा हिरापुर की बैठक दिनांक 29/07/2020 का कार्यवाही विवरण

ग्राम हिरापुर ग्राम पंचायत हिरापुर दिनांक 29/07/2020
स्थान हिरापुर

आज दिनांक .... को ग्राम हिरापुर के सरपंच श्री/श्रीमती श्री प्रसाद शिकारी की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक मे ग्राम सभा एवं वन समिति के .... सदस्य .... प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :–

1. ग्राम हिरापुर मे आवेदक ADB (PWD) हे. (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु 5.44 193 हे. वन भूमि 0.351 हे. राजस्व वन भूमि कुल निरंक हे. वन भूमि की मांग की गई। इस प्रस्ताव बाबत् विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत् ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि सड़क निर्माण कार्य के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नही संपादित कर रहे है एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नही दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:

क.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
①	हिरापुर	निरंक	निरंक

527 PF-193

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया है कि 0.361 हे. वन भूमि 0.351 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग निरंक हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स ADB (PWD) .... (आवेदक) ADB (PWD) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

एस. के. राठिया
वन रक्षक
राजपुर

सुपारीलाल

श्री प्रसाद शिकारी
सरपंच
ग्राम पंचायत हीरापुर
ज.पं. लैलूंगा, जि.रायगढ़ (छ.ग.)

रतन लाल पैकरा
सचिव
ग्राम पंचायत हीरापुर

PC no. 39
29/07/2020
फ्लोरेंस करकेट्टा
प्र.क्र.39.
तह.लैलूंगा, जि रायगढ़ (छ ग)

सदस्य गण
हस्ताक्षर ① चौंरसिंह
नाम ② दशोदरा
③ लक्ष्मी
④ देवन्ती चौहान

Scanned by CamScanner

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मार्ग बाकारूमा–लैलूंगा का चौड़ीकरण एवं उन्नयनीकरण कार्य किया जाना है। उक्त मार्ग ग्राम हीरापुर अंतर्गत वन भूमि से गुजर रहा है, जिसमें कक्ष कमांक 193 रकबा 0.351 हेक्टे. प्रभावित हो रहा है। जिसमें वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अंतर्गत प्रभावित ग्राम वासियों के मतानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

श्री प्रसाद शिकारी
सरपंच/हस्ताक्षर
ग्राम पंचायत हीरापुर
ज.पं. लैलूंगा, जि.रायगढ़ (छ.ग.)

रतन लाल पैकरा
सचिव
ग्राम पंचायत हीरापुर

एस. के. राठिया
वन रक्षक
राजपुर

Scanned by CamScanner

वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रति

01. वाकारूमा लैलूंगा मार्ग के चौड़िकरण एवं उन्नयन का कार्य हेतु रायगढ़ जिले के लैलूंगा तहसील के अंतर्गत ग्राम हिरापुर के परिक्षेत्र लैलूंगा में कक्ष कं0 – 193 संरक्षित वन भूमि ~~0.165~~ 0.351 हे0 प्रभावित वन भूमि के व्यनवर्तन कार्य हेतु आवेदन किया गया है।

02. गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भुमि का आज दिनांक 29/07/2020 .राजस्व विभाग, वन विभाग एवं आवेदक संस्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों के उपस्थिति में आवेदित स्थल का संयुक्त जांच किया गया।

03. वन भूमि के उक्त परियोजन हेतु व्यनवर्तन बावत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 के परिप्रेक्ष्य में स्थल निरिक्षण किये जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वन निवासी का कृषि कार्य, आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्जा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि व्यक्तिगत एवं सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वन निवासी नही पाया गया।

04. स्थल निरिक्षण के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि, ऐसे विलुप्त प्राय जनजाति समूह (पी. टी. जी.) के सदस्ये व्यनवर्तन कार्य हेतु आवेदित वन भूमि पर निवासरत नही हैं जिनका अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 की धारा 3(1) (e) के अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखा जाना है।

05. व्यनवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 की धारा 3(2) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है।

06. अतः इस परिप्रेक्ष्य में गैर वानिकी प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन हेतु आवेदित उक्त वन भूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है।

रतन लाल पकरा
सचिव
ग्राम पंचायत हीरापुर

एस. के. राठिया
वन रक्षक
राजपुर

श्री प्रसाद शिकारी
सरपंच
ग्राम पंचायत हीरापुर
ज.पं. लैलूंगा, जि.रायगढ़ (छ.ग.)

P.C.No. 39
29/07/2020
फ्लोरेंस करकट्टा
प्र.ह.क्र. 39.
तह.लैलूंगा,जि रायगढ़(छ.ग.)

आहताहू सुपारीटह

सदस्य गण
1. चैनसिंह
2. दशोराम
3. लक्ष्मी
4. देवन्तीचौहान

Scanned by CamScanner

कार्यालय ग्राम पंचायत-

कार्यवाही बैठक की नकल

दिनांक 6/20/2020

विकासखण्ड लैलूंगा तहसील लैलूंगा जिला रायगढ़

क्र.	उपस्थित पंचों / सदस्यों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
1	श्री श्रीप्रसाद शिकारी (सरपंच)	प्र. 50 (3)	आज दिनांक 6/20/2020 ग्राम सभा में बैठक अध्यक्ष श्रीमति [illegible] की अध्यक्षता में 22 कि. मी. चकारखुमा से लैलूंगा सड़क चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण वन अधिकार नियम 2006 के अंतर्गत कक्ष P.F 193 कुल रकबा 0.351 हेक्टेयर वन अधिकार के तहत वन भूमि के व्यपवर्तन कारण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी धरमजयगढ़ [illegible] परिक्षेत्र लैलूंगा के होयपुर ग्राम किसी भी रोड के समीप वन अधिकार पट्टा प्रदाय नहीं किया गया है।	यह सर्व सहमति से यह प्रस्ताव पारित है।	501 स
2	श्री नवीन यादव (उपसरपंच)	चकारखुमा लैलूंगा मार्ग 22 किलो मि० चौड़ाई करण कार्य हेतु वन अधिकार समिति के सम्बंध में वन अधिकार नियम 2006 धारा 3 (1) इ, 3 (2) के संबंध में।			
3	श्री बलीराम (पंच)				
4	श्री नरेश कुमार (पंच)				
5	श्रीमति राधिका (पंच)				10[illegible]
6	-॥- कमलावती				
7	-॥- तेलोबी				
8	-॥- नानबाई				
9	-॥- फूलमती				
10	-॥- रजनी निषाद				सही है

स्व. के. राठिया
वन रक्षक
राजपुर

सचिव ग्राम पंचायत होयपुर

सरपंच
ग्राम पंचायत होयपुर
ज.पं. लैलूंगा, जिला रायगढ़ (छ.ग.) होयपुर

क्रमांक (3) दिनांक 6/20/2020 सचिव सरपंच

वन अधिकार समिति

प्रदर्श –"ब"

ग्राम सभा चोरंगा .... की बैठक दिनांक ....

ग्राम ...चोरंगा...... का कार्यवाही विवरण

स्थान ...चोरंगा...... ग्राम पंचायत ....चोरंगा........ दिनांक ....

आज दिनांक 20/07/2020 को ग्राम ....चोरंगा....... के सरपंच श्री / श्रीमती [illegible] की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक मे ग्राम सभा एवं वन समिति के .... सदस्य ...55..... प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :–

1. ग्राम ...चोरंगा..... मे आवेदक A.D.B.(PQD) ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु PF कक्ष क्र 209 है. वन भूमि 0.165 है. राजस्व वन भूमि कुल निरंक है. वन भूमि की मांग की गई। इस प्रस्ताव बाबत् विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत् ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि ...सड़क निर्माण कार्य...... कार्य के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नही संपादित कर रहे है एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नही दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:

क.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया है कि (कक्ष क्र PF 209) 0.165 हे. वन भूमि 0.165 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग निरंक हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स ...A.D.B (PQD)..... (आवेदक) A.D.B.(PQD) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

वन अधिकार समिति अध्यक्ष

सतीश भगत
सचिव
ग्राम पंचायत चोरंगा
जनपद पं. लैलूंगा, जि. रायगढ़ (छ.ग.)
सचिव हस्ताक्षर ....नाम...............

Puran Singh Sida
P.C.N 312
Tah Lailunga
Distt-Raigarh (C.G.)

तीजराम राठिया
सरपंच
ग्राम पंचायत–चोरंगा
जनपद पं. लैलूंगा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

सदस्यगण
① सम्पूरन
② [illegible]
③ [illegible]
④ सुखीराम
⑤ देवचरण

...ADB BILASPUR\MAIL\2020-21\June-2016 6.2010_42526.docx

Scanned by CamScanner

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मार्ग बाकारूमा–लैलूंगा का चौड़ीकरण एवं उन्नयनीकरण कार्य किया जाना है। उक्त मार्ग ग्राम चोरगा अंतर्गत वन भूमि से गुजर रहा है, जिसमें कक्ष कमांक 209 रकबा 0.165 हेक्टे. प्रभावित हो रहा है। जिसमें वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अंतर्गत प्रभावित ग्राम वासियों के मतानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

सतीश भगत
सचिव
ग्राम पंचायत चोरंगा
ज.पं. लैलूंगा, जि. -रायगढ़ (छ.ग.)

बैशाखू
वन अधिकार समिति
अध्यक्ष

तीजराम राठिया
सरपंच के हस्ताक्षर
ग्राम पंचायत-चोरंगा
ज.पं.लैलूंगा,जिला- रायगढ़(छ.ग.)

Puran Singh Sidar
P.C.N --312--
Tah Lailunga,
Distt-Raigarh (C.G.)

सदस्यगण

1.
2. सम्पुरन
3. सुखीराम
4. देवचरण
5.

Scanned by CamScanner

वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रति

01. बाकारूमा लैलूंगा मार्ग के चौड़िकरण एवं उन्नयन का कार्य हेतु रायगढ़ जिले के लैलूंगा तहसील के अंतर्गत ग्राम हिरापुर के परिक्षेत्र लैलूंगा में कक्ष क0 – ~~193~~ 209 संरक्षित वन भूमि 0.165 हे0 प्रभावित वन भूमि के व्यनवर्तन कार्य हेतु आवेदन किया गया है।

02. गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भुमि का आज दिनांक.......................... .राजस्व विभाग, वन विभाग एवं आवेदक संस्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों के उपस्थिति में आवेदित स्थल का संयुक्त जांच किया गया।

03. वन भूमि के उक्त परियोजन हेतु व्यनवर्तन बावत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 के परिप्रेक्ष्य में स्थल निरिक्षण किये जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वन निवासी का कृषि कार्य, आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्जा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि व्यक्तिगत एवं सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वन निवासी नही पाया गया।

04. स्थल निरिक्षण के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि, ऐसे विलुप्त प्राय जनजाति समूह (पी. टी. जी.) के सदस्ये व्यनवर्तन कार्य हेतु आवेदित वन भूमि पर निवासरत नही हैं जिनका अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 की धारा 3(1) (e) के अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखा जाना है।

05. व्यनवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 की धारा 3(2) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है।

06. अतः इस परिप्रेक्ष्य में गैर वानिकी प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन हेतु आवेदित उक्त वन भूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है।

पटवारी

सतीश भगत
सचिव
ग्राम पंचायत चोरंगा
ज.पं. लैलूंगा, जि. रायगढ़ (छ.ग.)

तीजराम राठिया
सरपंच
ग्राम पंचायत चोरंगा
ज.पं. लैलूंगा जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

सदस्य गण

① सम्पुरन

②

③

वन विभाग

Puran Singh Sidar
P.C.N 322
Tah Lailunga
Distt-Raigarh (C.G.)

Scanned by CamScanner

दिनांक 29/07/2020

कार्यालय ग्राम पंचायत- चोरंगा

कार्यवाही बैठक की नकल

सत्य प्रतिलिपि

विकासखण्ड लैलूंगा तहसील लैलूंगा जिला रायगढ़

क्र.	उपस्थित पंचों / सदस्यों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
(1)	श्री तीजराम राठिया सरपंच	प्र० क्र० (05)	आज दिनांक-29/07/2020 को श्री तीजराम राठिया के	यह प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित	क्रमशः
(2)	श्रीमति हेमलता पटेल उपसरपंच	बकारूमा लैलूंगा मार्ग 22 कि०मी०	अध्यक्षता मे ग्रामसभा बैठक आयोजित किया गया।	किया गया।	
(3)	—॥— जगमोती पंच	चौडाई करण कार्य हेतु वन अधिकार	जिसमें 22 कि०मी० बकारूमा से लैलूंगा सड़क चौडीकरण		
(4)	—॥— जीधर —॥—	समिति के संबंध मे वन अधिकार	एवं नवनीकरण वन अधिकार नियम 2006 के अन्तर्गत		
(5)	—॥— मालती बाई —॥—	नियम 2006 धारा 3 (1) एवं 3 (2) के	ख०क्र० 209 कुल रकबा-0.165 हे० वन अधिकार के तहत		
(6)	—॥— सुलोचना —॥—	संबंध मे।	वनभूमि के वन पट्टा करण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित		
(7)	—॥— साहमती —॥—		ज०जाति और गैर परम्परागत वन निवासी धरमजयगढ़ मण्डल		
(8)	—॥— अमास —॥—		परिक्षेत्र लैलूंगा के चोरंगा ग्राम किसी व्यक्ति को रोड़		
(9)	—॥— थिरो पैंकरा —॥—		के समीप वन अधिकार पट्टा नहीं दिया गया।		
(10)	—॥— नंदकुमार —॥—				
(11)	—॥— त्रिलोचन —॥—				11 तक सही

सतीश भगत
सचिव

तीजराम राठिया
सरपंच

क्रमांक 05 दिनांक 29/07/2020 ग्राम पंचायत ...... ग्राम पंचायत चोरंगा

कार्यालय ग्राम पंचायत- सलखिया

कार्यवाही बैठक की नकल

दिनांक 30-07-2020

विकासखण्ड लैलूंगा तहसील लैलूंगा जिला रायगढ़

सत्य प्रतिलिपि

क्र.	उपस्थित पंचों / सदस्यों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
1	श्री महादेव प्रसाद	प्र० क्र० 12	आज दिनांक 30-07-2020 को	यह प्रस्ताव सर्व	क्र० 1 से
	सरपंच		टोलु राम पैंकरा के अध्यक्षता में	सहमति से पारित	
2	दयानन्द [illegible]	काकाकका लैलूंगा मार्ग		किया गया।	
	उपसरपंच	22 कि० मी० चौड़ीकरण	ग्राम सभा बैठक आयोजित		
3	राजकुमार पंच	कार्य हेतु वन अधिकार	किया गया। जिसमें 22 कि० मी०		
		समिति के संबंध में	काकाकका से लैलूंगा सड़क चौड़ी		
4	परसन पंच	वन अधिकार नियम-	करण एवं नवनीकरण वन अधि-		
		2006 धारा 3(1)	कार नियम 2006 के अन्तर्गत कक्ष		
5	श्रीमती गुरुवारी	ड [illegible] के संबंध	क्र० 187 रकबा 3.327 हेक्ट०		
6	शकुन्तला	में।	वन अधिकार के तहत वन भूमि के		
			बोवावर्तन हेतु अनुसूचित जाति		
7	मीना		एवं अनुसूचित जनजाति और		
8	रेखा		और परम्परागत वन निवासी		
			धरमजयगढ़ मण्डल परिक्षेत्र लैलूंगा		
9	पविशी		के सलखिया ग्राम किसी व्यक्ति		11 तक सहित
10	रे मोती		को रोड के समीप वन अधिकार		
11	विमला		पट्टा नहीं दिया गया।		

सचिव श्रीमती अंजनी पैंकरा सचिव ग्राम पंचायत सलखिया वि.ख.लैलूंगा, जि.रायगढ़ (छ.ग.)

महादेव प्रसाद पैंकरा सरपंच ग्राम पंचायत सलखिया

क्रमांक 12 दिनांक 30/7/2020 ग्राम पंचायत

176